बुधवार <u>21 मार्च, 2012</u> चैत्र 01, 1934( शक )

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा नौवां सत्र (भाग-2)

अधिकृत विवरण (खण्ड-09(2) में अंक-72 सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA

Secretary

लाल मणी

उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI

Deputy Secretary (Editing)

# विषय सूची

सत्र-09( 2 )       बुधवार , 21 मार्च , 2012 / चैत्र 01 , 1934 ( शक )		अंक-72
क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	3
3.	वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन	4
4.	बजट (2012-2013) का प्रस्तुतीकरण	6
5.	अनुपूरक अनुदान मांगों (वर्ष 2011-12) का प्रस्तुतीकरण एवं पारित करना	11
6.	विनियोजन (संख्या-1) विधेयक, 2012	18
7.	अप्रैल, 2012 से जून, 2012 की अवधि के लिये अनुदान मांगों (लेखानुदान) का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर मतदान	18
8.	विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, 2012	26

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

# सत्र-9 (2) दिल्ली विधान सभा के नौवें सत्र (भाग-2) का पहला दिन अंक-72

# दिल्ली विधान सभा

# सदन मध्याह्न 12.00 बजे समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

# निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

- 1. श्री अ. दयानन्द चंदीला अ.
- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- 9. चौ. भरत सिंह
- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव

- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी
- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह राणा
- 21. श्री करण सिंह तंवर
- 22. श्री कुलवंत राणा

- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत राम
- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी
- 41. श्री रमेश बिधूड़ी

42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल

2

- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्ण
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चोपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
- 58. श्री वीर सिंह धिंगान
- 59. श्री विपिन शर्मा

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-9 (2) बुधवार, 21 मार्च, 2012/चैत्र 01, 1934 (शक)

अंक-72

# सदन मध्याह्न 12.00 बजे समवेत हुआ।

# अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

# (राष्ट्रीय गीत : वन्देमातरम्)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सब को नव संवत्सर वर्ष 1934 की हार्दिक शुभकामनाएं।

विधान सभा के नौवें सत्र के दूसरे भाग की इस बैठक के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि सदन चलाने में मुझे सभी माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा।

...व्यवधान...

# सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री निम्नलिखित कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखेंगी :

- 1. कम्पनी अधिनियम, 156 की धारा 619 (उ) के अनुपालन हेतु जियोस्पैटियल दिल्ली लिमिटेड का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।
- 2. गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का वर्ष 2008-2009 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन।

**Chief Minister:** Sir, with your permission, I beg to lay on the Table of the House, the Hindi and English version of the following:

- (i) Annual Report of Geospatial Delhi Limited for the year 2010-11 in compliance to the Section 619(A) of the Companies Act, 1956.
- (ii) Annual Report of Guru Gobind Singh Indraprastha University for the year 2008-09.

#### ...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय: अब डॉ. ए.के. वालिया, शहरी विकास मंत्री लिलता पार्क में 15 नवम्बर. 2010 को बिल्डिंग गिरने से संबंधित जाँच आयोग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगे।

**Minister of Urban Development (Dr. A.K. Walia) :** Sir with your due permission, I wish to lay the copy of the Report of Justice Lokeshwar Prasad Commission of Inquiry into the Lalita. Park Building collapse on 15<sup>th</sup> November, 2010.

# (भाजपा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर खड़े होकर नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि "दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-192 के उप नियम-2, नियम-194 के उप नियम-2 और नियम-196 के उप नियम-2 के अनुसरण में इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल, 2012 से आरम्भ होने वाली कार्य अविध के लिए लोक

लेखा सिमिति, प्राक्कलन सिमिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी सिमिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

**Chief Minister :** Sir, with your permission, I beg to move the following motion :

That the Members of the this House do proceed to elect in the manner required under Rule 192(2), rule 194(2) and Rule 196(2) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Legislative Assembly, nine Members each from amongst themselves to serve as Members of the Public Accounts Committee, Estimates Committee and Committee on Government Undertakings beginning from 1<sup>st</sup> April, 2012.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है:जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।
निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार है:

नामांकन भरने की अंतिम तिथि : 23 मार्च, 2012 अपराह्न पाँच बजे तक।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि : 26 मार्च, 2012 अपराहन पाँच बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, यदि आवश्यक हुआ तो : 29 मार्च, 2012 अपराहन तीन बजे से
सायं पाँच बजे तक।

स्थान : सदन लाउंज, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

....अंतरबाधाएँ....

अध्यक्ष महोदय: श्री सत प्रकाश राणा जी आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हाऊस को डिस्टर्ब मत करिए अन्यथा मैं आपको नेम कर दूंगा।

## ....अंतरबाधाएँ....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सत प्रकाश राणा जी को नेम करता हूँ। इनको सदन से बाहर ले जाइए।

## ....अंतरबाधाएँ....

# बजट (2012-13) का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, बजट 2012-2013 प्रस्तुत करेंगी।

## श्रीमती शीला दीक्षित : माननीय अध्यक्ष जी

1. मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष अपनी सरकार का वर्ष 2012-13 का बजट पेश कर रही हूँ और सदन की मंजूरी के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत कर रही हूँ तािक अप्रैल/मई, 2012 में सदन द्वारा संपूर्ण बजट को मंजूर किए जाने तक सरकार अपना कार्य करती रहे और आवाश्यक मदों पर व्यय करने हेतु अनुमानित परिव्यय के एक-चौथाई तक खर्च कर सके। पूरे वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय ब्यौरा और अनुदान मांगों प्रस्तुत की जा रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो नियमित बजट प्रस्तुत करते समय इलन अनुदान मांगों को संशोधित किया जा सकता है।

## 2. वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित अनुमान

अध्यक्ष जी, योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना का परिव्यय 14200 करोड़ रुपये मंजूर किया था। दिल्ली सरकार के चालू वर्ष 2011-12 के बजट परिव्यय को 27067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27770 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें 14200 करोड़ रुपये योजना बजट 13380 करोड़ रुपये गैर योजना बजट तथा 190 करोड़ रुपये केन्द्र प्रायोजित स्कीम शामिल हैं। संशोधित बजट में कुज मिलाकर 703 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो 27067 करोड़ रुपये मूल बजट परिव्यय से 2.59 प्रतिशत अधिक है।

- 3. वर्ष 2011-12 में दिल्ली के कुल संसाधन 31016 करोड़ रुपये है जिसमें (क) कर राजस्व के 20128 करोड़ (ख) गैर कर राजस्व 640 करोड़ (ग) केन्द्रीय सहायता 1481 करोड़ (घ) केन्द्रीय करों में अंश की प्रतिपूर्ति के लिये 325 करोड़ (ङ) स्थानीय निकायों से ऋण वसूली से आय 788 करोड़ तथा (ज) पिछले वर्ष का राजस्व अधिशेष 7654 करोड़ रुपये शामिल है।
- 4. संशोधित अनुमान में 703 करोड़ रुपये अधिक दर्शाई गई वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि 45 करोड़ रुपये का ऋण दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को, 40 करोड़ रुपये का ऋण दिल्ली वित्त निगम को और डी.पी.सी.एल. को ऊर्जा नियंत्रण फंड हेतु 500 करोड़ रुपये अंशदान तथा शेष 118 करोड़ रुपये मूल्यवृद्धि के कारण है।
- 5. चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रणालियों को युक्तिसंगत बनाते हुए और आउटकम बजट के प्रयोग से खर्च की गित में सुधार करते हुए हमने फरवरी, 2012 के अंत तक कुल योजना राशि का 79 प्रतिशत (11220 करोड़ रुपये) व्यय का लक्ष्य हासिल

कर लिया है जबिक पिछले वर्ष इसी अविध में 67 प्रतिशत (7681.28 करोड़ रुपये) का इस्तेमाल हो सका था।

# 6. वर्ष 2011-12 के लिये पूरक मांगें

अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष 2011-12 के लिये 983.67 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की मंजूरी आवश्यक होगी (983.67 करोड़ रुपये में से दिल्ली की समेकित निधि को वापिस की गई 280. 67 करोड़ रुपये की राशि घटाने पर यह राशि 703 करोड़ रुपये है)। तद्नुरूप मैं सम्मानित सदन से इन पूरक अनुदान मांगों को मंजूर करने की गुजारिश करती हूँ।

### 7. वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान

अध्यक्ष जी, योजना आयोग ने वर्ष 2012-13 के लिए 15000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया है जो चालू वर्ष के 14200 करोड़ रुपये से 5.63 प्रतिशत अधिक है।

- 8. वर्ष 2012-13 का कुल खर्च बजट अनुमान 30970 करोड़ रुपये है। इसके अन्तर्गत 15000 करोड़ रुपये योजना पिरव्यय, 15811 करोड़ रुपये गैर योजना खर्च तथा 159 करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2012-13 की बजट राशि में 21675.47 करोड़ रुपये राजस्व व्यय तथा 9135.53 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का प्रावधान शामिल है।
- 9. प्रस्तावित बजट 30811 करोड़ रुपये (केन्द्रीय स्कीमों के 159 करोड़ रुपये छोड़कर) के खर्च की वित्त व्यवस्था में 31395 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों से, जिसमें 24310 करोड़ रुपये कर राजस्व, 697 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व, 325 करोड़

रुपये केन्द्रीय करों का अंश, 1444 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से अन्य अनुदान, 626 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियों से (ऋण का भुगतान/स्थानीय/स्वायत्त निकायों से ब्याज) तथा पिछले वर्ष्म की 3993 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि शामिल है।

- 10. मान्यवर, मैं राजकोषीय उपलिब्धियां, नीतियों, प्राथिमकताओं, विकास कार्यक्रमों और कर प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा बाद में सदन में नियमित बजट पेश करते समय प्रस्तुत करूंगी।
- 11. इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करती हूँ कि वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदान मांगों और वर्ष 2011-12 के लिये पूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दी जाये।

#### Honourable Speaker Sir,

1. I rise to present the Budget of our Government for 2012-13 to this August House and to seek a vote-on-account to enable the Government to carry on its business and meet essential expenditure to the extent of one fourth of the projected expenditure, till the entire budget is passed by this House later in April/May, 2012. The Annual Financial Statement and the Demands for Grants now being presented are for the entire financial year. These may be revised at the time of presentation of the regular Budget, if need arises.

#### 2. Revised Estimate for 2011-12

Mr. Speaker Sir, the size of the Annual Plan 2011-12 was approved by the Planning Commission at Rs. 14200 crore. The current year 2011-12 Budget size of Government of NCT of Delhi has been revised from Rs. 27067 crore to Rs. 27770 crore which consists of Rs. 14200 as Plan Budget, Rs. 13380 as Non Plan Budget and

Rs. 190 crore as Centrally Sponsored Schemes. There is an overall increase of Rs. 703 crore in the Revised Budget which is an increase of 2.59 percent over the original budget size of Rs. 27067 crore.

- 3. Delhi's total resources for the year 2011-12 are Rs. 31016 crore which consists of (a) Tax Revenue of Rs. 20128 crore (b) Non-Tax Revenue Rs. 640 crore (c) Central Assistance Rs. 14841 crore (d) Compensation in lieu of Share in Central Taxes Rs. 325 crore (e) Receipts on account of Recovery of loans from local bodies Rs. 788 crore and (f) last year's Revenue surplus of Rs. 7654 crore.
- 4. The projected increase in estimate of Rs. 703 crore is mainly due to grant to loan of Rs. 45 crore to Delhi Urban Shelter Improvement Board, loan of Rs. 40 crore to Delhi Financial Corporation and investment of Rs. 500 crore in Equity for Power Stabilization Funds to DPCL and the balance of Rs. 118 crore is due to inflationaryeffect.
- 5. By rationalization of procedures and improving the pace of expenditure through outcome budget in the current year by the end of February, 2012, we have achieved utilization of 79 percent of plan funds (Rs. 11220 crore) as against 67 percent (Rs. 7681.28 crore) for the same period during the last year.

#### 6. Supplementary Demands for Grants for 2011-12

Sir, in order to give effect to the Revised Estimates, supplementary demands for the grant of Rs. 983.67 crore will be required for the current financial year 2011-12. (The net effect after deducting the amount of Rs. 280.67 crore out of Rs. 983.67 crore, being surrendered to the Consolidated fund of Delhi will come to Rs. 703 crore). Accordingly, I seek the approval of this august house for supplementary demands for grants amounting to Rs. 983.67 crore.

#### 7. Budget Estimate for 2012-13

Sir, the Planning Commission has approved the Annual Plan for the year 2012-13 at Rs. 15000 crore which is 5.63 percent higher than that of current year of Rs. 14200 crore.

- 8. The Budget Estimates for the total expenditure during the year 2012-13 is as Rs. 30970 crore. This includes Rs. 15000 crore as plan outlay, Rs. 15811 crore as Non Plan and Rs. 159 crore of Centrally Sponsored Schemes (CSS). The bifurcation in terms of Revenue and Capital size of Budget 2012-13 is Rs. 21675.47 crore and Rs. 9135.53 crore respectively.
- 9. The proposed budgetary expenditure of Rs. 30811 (excluding Rs. 159 crore of Centrally Sponsored Schemes) will be funded from 'Revenue Receipts' of Rs. 31395 crore, which includes Tax Revenue of Rs. 24310 crore, Non Tax Revenue Rs. 697 crore, share in Central Taxes Rs. 325 crore, other grants from Government of India of Rs. 1444 crore, Capital receipts of Rs. 626 crore (repayment of Loan/interest by the Local/Autonomous bodies) and last year's surplus of Rs. 3993 crore.
- 10. Sir, I would present a more detailed statement on our fiscal performance, policies, priorities, development programmes and tax proposals at a later stage while presenting the regular budget.
- 11. With these words, I seek the approval of the House for the Vote-on-Account (2012-13) and Demands for Supplementary Grants (2011-12).

अध्यक्ष महोदय : अब सदन अनुपूरक मांगों पर मांग-अनुसार विचार करेगा।

#### डिमान्ड नंबर-1 : विधान सभा

जिसमें रेवेन्यू में 52 लाख 92 हजार रुपए हैं, सदन के सामने है,

यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand नंबर-1 पास हुई।

# डिमान्ड नंबर-2 : जनरल एडिमिनिस्ट्रेशन

जिसमें रेवेन्यू में दो लाख रुपए और कैपिटल में 40 करोड़ रुपए हैं, (कुल राशि 40 करोड़ दो लाख रुपए)

यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand नंबर-2 पास हुई।

# डिमान्ड नंबर-3 (Administration of Justice)

जिसमें रेवेन्यू में एक अरब 8 करोड़ 54 लाख 42 हजार रुपए हैं,

यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand नंबर-3 पास हुई।

# डिमान्ड नंबर-4

फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू में तीन लाख रुपए और कैपिटल में पाँच करोड़ रुपए हैं, (कुल राशि 5 करोड़, तीन लाख रुपए)

> यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand नंबर-4 पास हुई।

# Demand No. 5 (Home) जिसमें Revenue में 3 लाख रुपये हैं,

सदन के सामने हैं-

Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

#### **Demand No. 6 (Education)**

जिसमें Revenue में 33 करोड़ 17 लाख 82 हजार रुपये और Capital में 14 करोड़ 82 लाख 60 हजार रुपये है, (कुल राशि 48 करोड़ 42 हजार रुपये)

सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

### डिमान्ड न. 7 (Medical and Public Health)

जिसमें Revenue में 73 करोड़ 22 लाख 80 हजार रुपये और Capital में 1 लाख रुपये हैं, (कुल राशि 73 करोड़ 23 लाख 80 हजार रुपये)

सदन के सामने हैं-

Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

### डिमान्ड न. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 1 अरब 21 करोड़ 94 लाख 88 हजार रुपये और Capital में 4 लाख रुपये हैं, (कुल राशि 1 अरब 21 करोड़ 98 लाख 88 हजार रुपये)

सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

# डिमान्ड न. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 3 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये हैं,

सदन के सामने हैं-

Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

### डिमान्ड न. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 38 करोड़ 18 लाख 42 हजार रुपये और Capital में 1 लाख रुपये हैं, (कुल राशि 38 करोड़ 19 लाख 42 हजार रुपये)।

सदन के सामने हैं-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

# डिमान्ड न. 11 (Urban Development and Public Works)

जिसमें Revenue में 16 लाख रुपये और Capital में 5 अरब 43 करोड़ 29 लाख 33 हजार रुपये हैं (कुल राशि 5 अरब 43 करोड़ 45 लाख 33 हजार रुपए)

सदन के सामने हैं-

17

Supplementary Demand No. 11 पास हुई।

# डिमान्ड न. 12 (Loans)

जिसमें Capital में 11 लाख रुपये हैं,

सदन के सामने हैं-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Supplementary Demand No. 12 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue 3 अरब 79 करोड़ 19 लाख 66 हजार रुपये एवं Capital में 6 अरब 3 करोड़ 28 लाख 93 हजार रुपये की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

# विनियोजन ( संख्या-1), विधेयक 2012 Appropriation (No.1) Bill, 2012

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्य मंत्री Appropriation (No.1) Bill, 2012 को House में Introduce करने की permission मांगेंगी।

**Chief Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No. 1) bill, 2012 to the house.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्य मंत्री जी Bill को सदन में Introduce करेंगीं।

**Chief Minister :** Hon'ble Speaker, Sir, I introduce Appropriation (No.1) Bill, 2012 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule बिल का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बने-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये। अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेगीं कि Appropriation (No. 1) Bill, Bill 2012 को पास किया जायें।

**Chief Minister :** Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 1) Bill, 2012

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Appropriation (No. 1) Bill 2012 पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्य मंत्री वर्ष 2012-2013 के लिए Vote-on-Account पेश करेंगी।

**Chief Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, I present Vote on Account for the months of April to June, 2012 before the House.

अध्यक्ष महोदय: अब सदन Demands पर Demand-wise विचार करेगा।

#### **Demand No. 1 (Legislative Assembly)**

जिसमें कुल राशि 3 करोड़ 76 लाख 25 हजार रुपये Revenue में हैं, सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 1 मंजूर हुई।

## **Demand No. 2 (General Administration)**

जिसमें 26 करोड़ 3 लाख 30 हजार रुपये Revenue में हैं, सदन के सामने है-

Demand No. 2 मंजूर हुई।

#### **Demand No. 3 (Administration of Justice)**

जिसमें 1 अरब 4 करोड़ 63 लाख 98 हजार रुपये Revenue में हैं, सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 3 मंजूर हुई।

#### **Demand No. 4 (Finance)**

जिसमें 55 करोड़ 62 लाख 38 हजार रुपये Revenue में और 8 करोड़ 25 लाख Capital में हैं, (कुल राशि 63 करोड़ 87 लाख 38 हजार रुपये) सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 4 मंजूर हुई।

#### Demand No. 5 (Home)

जिसमें 80 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपये हैं Revenue में हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 5 मंजूर हुई।

#### Demand No. 6 (Education)

जिसमें 11 अरब 33 करोड़ 8 लाख 12 हजार रुपये Revenue में और 83 करोड़ 37 लाख 50 हजार Capital में हैं (कुल राशि 12 अरब 16 करोड़ 45 लाख 62 हजार रुपये) सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 6 मंजूर हुई।

#### Demand No. 7 (Medical & Public Health)

जिसमें 7 अरब 33 करोड़ 18 लाख 11 हजार रुपये Revenue में हैं, सदन के सामने है—

23

Demand No. 7 मंजूर हुई।

### Demand No. 8 (Social Welfare)

जिसमें 5 अरब 46 करोड़ 86 लाख 25 हजार रुपये Revenue में और 4 अरब 32 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपये Capital में हैं— (कुल राशि 9 अरब 79 करोड़ 28 लाख 75 हजार रुपये) सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 8 मंजूर हुई।

#### **Demand No. 9 (Industries)**

जिसमें 31 करोड़ 34 लाख 63 हजार रुपये Revenue में और 3 करोड़ 38 लाख रुपये Capital में हैं। (कुल राशि 34 करोड़ 72 लाख 63 हजार रुपये) सदन के सामने हैं—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 9 मंजूर हुई।

### **Demand No. 10 (Development)**

जिसमें 3 अरब 69 करोड़ 27 लाख 7 हजार रुपये Revenue में एवं 78 करोड़ 24 लाख रुपये Capital में हैं, (कुल राशि 4 अरब 47 करोड़ 51 लाख 7 हजार रुपये) सदन के सामने है—

24

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 10 मंजूर हुई।

#### Demand No. 11 (Urban Development & PWD)

जिसमें 14 अरब 82 करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपये Revenue में एवं 13 अरब 52 करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपये Capital में हैं, (कुल राशि 28 अरब 35 करोड़ 69 लाख 50 हजार रुपये) सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 11 मंजूर हुई।

#### Demand No. 12 (Loans)

जिसमें 62 लाख 50 हजार रुपये capital में हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 12 मंजूर हुई।

## Demand No. 13 (Pensions)

जिसमें 31 करोड़ 25 लाख रुपये Revenue में हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

Demand No. 13 मंजूर हुई।

सदन ने Revenue में 45 अरब 98 करोड़ 51 लाख 9 हजार रुपये और capital में 19 अरब 59 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपये (कुल राशि 65 अरब 57 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपये) राशि की मंजूरी दी है।

# विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक 2012 Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 को House में Introduce करने की Permission मांगेंगी।

**Chief Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the NCT of Delhi for the services of the months of April to June, 2012.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ करने पर) प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्य मंत्री जी Bill को House में Introduce करेंगी।

**Chief Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, I introduce Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2, खण्ड-3 एवं Schedule Bill का अंग बनें-

27

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में, हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule Bill का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1. Preamble और Title Bill का अंग बने-

जो इसके पक्ष में हैं. वे हाँ कहें. जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-1. Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेगीं कि Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 को पास किया जाये।

**Chief Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012.

अध्यक्ष महोदय: मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) प्रस्ताव पास हुआ।

विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक 2012 28

21 मार्च, 2012

Appropriation (Vote on Account) Bill 2012 पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थिगत करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन चलाने में मुझे भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिये सदन की नेता एवं मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित, नेता, प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बी/55 बटालियन एवं लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल व हार्टीकल्चर प्रभाग, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

राष्ट्रगान : जन-गण-मन